अनुसूचितजनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृति

यह इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों की निर्दिष्ट फाइलों में विदेशी विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए मेधावी छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय योजना है। यह योजना वर्ष 1954-55 के दौरान शुरू की गई थी और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। यह गैर-योजना योजना थी, जो 2007-08 से एक योजना योजना वन गई।

मुख्य विशेषताएं:

इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के 35 निर्दिष्ट विषयों में परास्नातक स्तर और पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए 15 मेधावी छात्रों (एसटी के लिए 13 और पीटीजी के लिए 13) को वितीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना एसटी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करती है।

100% केंद्रीय सहायता सीधे उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है। निर्धारित वितीय सहायता पाठ्यक्रम / अनुसंधान या निम्नलिखित अवधि के पूरा होने तक प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो: -पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च - 1 और 1/2 साल (डेढ़ साल) पीएच.डी. - 4 साल (चार साल)

मास्टर डिग्री -3 साल (तीन साल)

पाठ्यक्रम के स्तरों के लिए निर्धारित अविध से परे रहने का विस्तार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी तरह की वितीय सहायता के बिना माना जा सकता है, भारत में लौटने के लिए हवाई मार्ग को छोड़कर, शैक्षिक संस्थान / विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर भी। विदेशों में भारतीय मिशन।

पात्रता मापदंडः

उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए। मास्टर डिग्री, पीएचडी के लिए उम्मीदवार के पास 60% अंकों के साथ फर्स्ट क्लास या संबंधित डिग्री में समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। और पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च।

उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नियोजित कैंडिडेट्स या उसके माता-पिता / अभिभावक के सभी स्रोतों से कुल आय रु। से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25000 / - प्रति माह (ऐसे भतों को छोड़कर आयकर के उद्देश्य के लिए कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है)।

एक ही माता-पिता / अभिभावक का एक से अधिक बच्चा पात्र नहीं है। जो उम्मीदवार रोजगार में हैं, उन्हें अपने नियोक्ता के माध्यम से अपने आवेदन पत्र को एनओसी के साथ अग्रेषित करना होगा।

अंत में चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश प्राप्त करने और चयन के संचार की तारीख से तीन साल के भीतर विदेशों में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में शामिल होने की आवश्यकता होती है।

लाभ:

चयनित उम्मीदवारों को ट्यूशन और विदेशी विश्वविद्यालय आदि द्वारा ली जाने वाली अन्य शैक्षणिक फीस, रखरखाव और अन्य अनुदानों के साथ यात्रा खर्च भी दिया जाता है।

हर साल केवल चार एसटी उम्मीदवारों को ही पास अनुदान उपलब्ध है, जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए योग्यता छात्रवृत्ति की प्राप्ति में हैं (विदेशी सरकार / संगठन से सेमिनार,

कार्यशालाओं, सम्मेलनों में भाग लेने को छोड़कर) प्रदान नहीं किया गया है।

पुरस्कार विजेताओं को निर्धारित छत तक अनुसंधान / शिक्षण सहायता प्रदान करके अपने निर्धारित भतों के पूरक हैं। जहां आय अर्जित की जाती है वह सीमा से परे है, योजना के तहत रखरखाव भता विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा इसी प्रकार कम किया जाएगा।